

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन द्वारा के पत्र संख्या-09 नो-ई/XXXVI-A1/2026-11 नो-ई/2010, न्याय अनुभाग-1, दिनांक 07.05.2026 के द्वारा तहसील कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में नोटरी के एक पद पर नियुक्ति हेतु नया पैनल मंगाये जाने हेतु सम्बन्धित तहसील में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण, जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम-03 के अनुसार अर्हता रखते हो, से आवेदन प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

अतः नोटरी के उपरोक्त 01 पद हेतु सम्बन्धित तहसील में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण जो नोटरी नियमावली 1956 के नियम-3 के अनुसार अर्हता रखते हो से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने हेतु नोटरी नियमावली, 1956 के नियम-4 के उपनियम (2) एवं (3) निम्नवत् हैं :-

(2) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप-I के अनुसार और उक्त नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप-II के अनुसार अभ्यावेदन किया जायेगा,

(3) नियम-3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के ज्ञापन पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा :-

- (क) मजिस्ट्रेट
- (ख) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबन्धक,
- (ग) व्यापारी, और
- (घ) उस स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी, जिसके अन्तर्गत आवेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है।

जो आवेदन अपूर्ण एवं उपर्युक्त नियमों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित नहीं होंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2026 सांय 4.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

 12-5-26

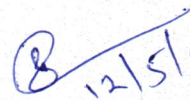
(नितिन शर्मा)
जिला न्यायाधीश
टिहरी गढ़वाल।

सं0 59 / 2026

दिनांक 12.5.26

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

1. तहसीलदार, तहसील, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल वास्ते नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, नई टिहरी।
3. सिस्टम असिस्टेन्ट वास्ते वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. नोटिस बोर्ड।

 12/5/26

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जिला जजशिप टिहरी गढ़वाल।